कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 41 /शि०का०लख०/2022 दिनांक- 07-01-2022

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 के अधीन ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के संबंध में शासन के पत्र संख्या-757 94 स्टा0नि0--2 19--500(97) 08टी०सी0 दिनाक 04.11.2019 के कम में उत्तर प्रदेश राज्य एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० CRA) के मध्य निष्पादित ई–स्टाम्प अनुबन्ध दिनांक 05.12.2019 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (CRA) को शासन के पत्र सख्या–1298/ 94–स्टा०नि०-2–2021-700(223)/2021 दिनांक 15-12-2021 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक RBI/2017 18/110 DBR.No.Leg.BC.98/ 09.08.019/2017 18 Dec 19, 2017 में उल्लिखित पंजीकृत एक मात्र इन्फार्मेशन यूटीलिटी केन्द्र सरकार की कम्पनी एन०ई०एस०एल० तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (स्टेट टैक्सेस-I सेक्शन), भारत सरकार के राज्यों के मुख्य सचिव को सबोधित पत्र S-33013/6/2021-ST-1-DoR दिनांक 29.09.2021 प्रदत्त निर्देशों के अधीन National e–Governance Services Limited (NeSL)/ Stock Holding Corporation of India Limited 6 प्लेटफार्म पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निम्नलिखित डिजिटली निष्पादित होने वाले लेखपत्रों पर डिजिटल ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि (C.R.A.) द्वारा वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत सभी वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त डिजिटल ई स्टाम्प प्रमाण पत्र के संबंध में ई-स्टाम्प हेतु अनुबंध दिनांक 05.12.2019 के अनुसार निर्धारित सम्पूर्ण प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। डिजिटली निष्पादित होने वाले लेख पत्रों पर डिजिटल ई–स्टाम्पिग निष्पादन तिथि पर अथवा उसके पूर्व ही की जायेगी।

क्रमांक	अनुच्छेद संख्या-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की शेड्यूल 1-बी, की अनुच्छेद संख्या	लेखपत्र का प्रकार
1	2	3
1.	26	कस्टम बॉण्ड

उपर्युक्त प्रदत्त अनुमत्ति के क्रम में स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है कि डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय। साथ ही डिजिटली स्टाम्पित लेखपत्रों के संबंध में उचित स्टाम्प के परीक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों को अपने पोर्टल पर

access प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।

(डॉ० रोशन जैकब)
आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 41 /शि०का०लख०/2022 **दिनांक- 07-01-2022**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री एस० रमन्न, आई०ए०एन्डए०एस०, प्रबंध निदेशक एवं सी०ई०ओ, एन०ई०एस०एल०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी /कलेक्टर, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
6. आन्तरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ, पूर्वी /पश्चिमी।
7. समस्त उप /सहायक आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपनिबन्धक, उत्तर प्रदेश।
9. श्री मनु राय, क्षेत्रीय प्रमुख, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

(डॉ० रोशन जैकब)
आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।